



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12122020-223685
CG-DL-E-12122020-223685

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3964]
No. 3964]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2020/अग्रहायण 20, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2020/AGRAHAYANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2020

का.आ. 4511 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ.1655 (अ) तारीख 26.05.2020 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं.361 के कि.मी. 522.420 कि.मी.से 600.400 कि.मी (खुपसरवाडी से पाडी (मक्ता) खंड), तक के भूखंड का निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "26.08.2020" को "दैनिक लोकमत" और "टाईम्स ऑफ इंडिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था; और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए; और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा

करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के नांदेड जिले में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 361 के कि.मी. 522.420 से कि.मी. 600.400 म.रा.म 2 (खुपसरवाडी से पार्डी (मक्ता) खंड) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: नांदेड			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: नांदेड				
	गांव का नाम: मुजामपेठ				
1	3248	निजी	अकृषि	0.0027	आदर्श हातमाग विणकर सहकारी संस्था नांदेड हनुमान मंदिर (३२४८)
			कुल	0.0027	

[फा. सं. NHAI/LA/NH-361/2015/3D]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, 11th December, 2020

S.O. 4511 (E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 1655 (E), dated 26.05.2020, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub- section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc), maintenance, management and operation of National Highway No 361 on the stretch of land from Km. 522.420 to Km. 600.400 on MSH2 (Khupsarwadi to Pardi (Makta) Section) in Nanded District in the State of Maharashtra;

And whereas, the substance of the said notification has been published in "Dainik Lokmat" and " Times of India" both dated 26.08.2020, under sub- section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said, Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 522.420 to Km. 600.400 on MSH2 (Khupsarwadi to Pardi (Makta) section) of the National Highway-361 in the State of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA			District: NANDED		
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Nanded				
	Village: Mujampeth				
1	3248	Private	Non Agriculture	0.0027	Adarsh Hatmag Vinkar Sahakari Sanstha Nanded Hanuman Mandir 3248
			TOTAL	0.0027	

[F. No. NHAI/LA/NH-361/2015/3D]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.